

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

ज

अतारंकित प्रश्न संख्या : 255

19 अक्टूबर, 2019 को आयोजित प्रश्नोत्तर

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों का विषम अनुपात

255. श्री अशोक सिन्हा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत भर के सरकारी अस्पतालों का राज्य-वार विवरण क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कम है;
- (ग) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;
- (घ) इसे सुधारने के लिए क्या योजनाएँ हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अशोक सिन्हा)

(क), (ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आयुर्विज्ञान विभाग / आयुर्विज्ञान परिषद में 31 अक्टूबर, 2019 को 11,59,309 मरीजों को 80% डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। 9.27 डॉक्टर सक्रिय सेवा के लिए उपलब्ध हैं। डॉक्टरों की संख्या - 1:1445 (एक डॉक्टर प्रति 1445 मरीज)। 7.88 डॉक्टरों की संख्या 80% से कम है। अनुमानित है कि 6.30 डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त है। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को प्राथमिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएसए) के क्षेत्रों को स्वास्थ्य परिचया प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)।

केंद्रों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)। डॉक्टरों की संख्या - 1:860 (एक डॉक्टर प्रति 860 मरीज)।

ख ; क रों को दुगम तथा दूरदराज के क्षेत्रों म काय करने के लिए प्रोत्सा ; ज िं  
स स य कद्रों म विभिन्न तंत्रों के माध्य ि ष्ट्र स स्थ्य ज्ञ ओं  
' ट्रैकिं - ' ' ट्रैकिं ' ज्ञों म

ज िं को विशेषज्ञों को आर्काषत करने के लिए - ि  
' ि  
७ दन आधारित प्रोत्सा , दुगम और ग्रामीण क्षेत्रों म  
आवास और ट्रांसपोट सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण कायक्रम प्रायोजित करना त दि तार्कि लोक स्वास्थ्य  
कद्रों म डॉक्टरों और विशेषज्ञों को कमी िं ि  
ज िं त य सहातया भी प्रदान को जाती है। ज िं/ ज क्षेत्रों ज्ञों को दुगम क्षेत्र  
त ि या जाता है जो ग्रामीण और दुगम क्षेत्रों म सेवारत रहते ह और साथ ही उन्ह क  
ि

साथ ही राज्यों को यह परामश दिया जाता है कि स िं  
क रों को युक्तियुक्त श्रे ि स स्थ्य कद्रों के लिए पद संबंधित राज्य/  
ज िं द्व 'उन्ह - ि क िं

\*\*\*\*\*

क ( + )

क्र.	ज	क - रु	क ( + रु )
1	ध्र प्र	659	542
2	अरुणाचल प्रदेश	1951	1391
3		1800	1650
4		3536	812
5	र्त्त	4045	2485
6	दिल्ली	1252	797
7		576	424
8		1248	715
9	र्त्त	6287	1812
10		3015	628
11	जम्मू और कश्मीर **	1143	812
12		7895	6931
13		672	485
14	ध्र प्र	2691	977
15	ध्र	900	478
16		740	446
17		20343	20343
18		23,396	10,479
19		2495	1508
20		778	584
21	रु	2224	1551
22	सिक्किम	595	595
23		696	643
24	उत्तर प्रदेश	3692	1756
25	त्त	1631	1107
26	श्रे	1705	1032
27	त्रे	2934	2328
28		9477	1833
		1445	860

- अन्य राज्य / संघ ज क्षेत्र को अपनी आयुर्विज्ञान पंजीकरण परिषद नहीं है र्त्त

ज र्त्त / आयुर्विज्ञान परिषद

\*\* र्त्त श 31 , 2019 को से